




लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 12 जनवरी 1987

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
12 जनवरी, 1987 में विचाराधीन विषयों
की कार्य-सूची
=====

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 के कार्य-वृत्त का पुष्टिकरण ।	
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	11
3-	लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय-व्यय का विवरण ।	12
4-	भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में प्रगति आख्या ।	15
5-	अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्रगति विवरण ।	16
6-	अधिगृहण सम्बन्धी कार्यों का विवरण ।	17
7-	अभियन्त्रणा एवं आवंटन की प्रगति आख्या ।	29
8-	प्रताप गृह-निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	30
9-	जनपथ मार्केट की एप्रोच रोड के सम्बन्ध में ।	38
10-	पट्टों के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।	39
11-	भूखण्ड संख्या-वी-10, रक-रोड महानगर विस्तार योजना के सम्बन्ध में ।	42
12-	ला-प्लास योजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर विचार ।	43
13-	लखनऊ विकास प्राधिकरण में अर्जन विभाग में अमीनों एवं चैनपैनों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	46
14-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय ।	

विषय संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1

विषय: लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 के
कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 का कार्यवृत्त
पुष्टिकरण हेतु संलग्न किया जा रहा
है ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
 दि.सम्बर 11, 1986 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- | | | |
|----|--|--|
| 1- | श्री बृजेश कुमार | अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, एवं आयुक्त, लखानऊ मण्डल, लखानऊ । |
| 2- | श्री अखण्ड प्रताप सिंह | सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास, विकास भवन, लखानऊ । |
| 3- | श्री गोविन्दन नायर | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ । |
| 4- | श्री शरद अस्थाना | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, विधान भवन, लखानऊ । |
| 5- | श्री डी०पी०सिंहल | मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखानऊ । |
| 6- | श्री एन०एस०जोहरी के स्थान पर श्री जे०पी०भार्गव | वरिष्ठ नियोजक, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखानऊ । |
| 7- | डा० वी०एन०खान्ना | सदस्य, विधान परिषद, एवं सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ । |
| 8- | श्री राम नगीना सिंह | सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ । |
| 9- | श्रीमती उमा त्रिपाठी | सदस्या, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ । |

=x=x=x=x=x=

- | | | |
|-----|--------------------|--------------------------------------|
| 10- | श्री श्रीलेश कृष्ण | सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ । |
|-----|--------------------|--------------------------------------|

=x=x=x=x=x=

बैठक की कार्यवाही से पूर्व उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण तथा समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने नये अध्यक्ष श्री बृजेश कुमार का स्वागत किया गया तथा यह आशा व्यक्त की गई कि अध्यक्ष, महोदय के मार्गदर्शन में लखानऊ विकास प्राधिकरण तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा । भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राम कृष्ण के अमूल्य योगदान एवं सफल मार्ग दर्शन हेतु धान्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया तथा उनके द्वारा लखानऊ विकास प्राधिकरण के तीव्र प्रगति हेतु किये गये प्रयासों के लिये मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की गई ।

विषय संख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय :

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नलिखित संशोधनों के साथ की गई :-

क्रमशः—

वि०स०: 1 दोस-तृतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दूरानों के निर्माण हेतु स्थल चयन हेतु गठित उपसमिति के संयोजक मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण होंगे तथा तीन सदस्यों की उपस्थिति पर इस समिति का कोरम पूर्ण माना जायेगा । यह उपसमिति एक महीने के अन्तर्गत कम से कम दो निरीक्षण अवसर करेगी ।

वि०स०: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण के सदस्यों का यह मत था कि हरिजनों को भावन देने हेतु जो अनुदान दिया गया था उसे और भावनों के लिये भी लिया जाये ।

विज्ञाप संख्या: 2

वि०स०: 6 समस्त माननीय सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनका उचित प्रचार भी किया जाये ।

वि०स०: 9 समस्त सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि अनधिकृत डालीनिधियों के विकास के सम्बन्ध में जो कार्य हो रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा हेतु एक ग्राह्य निश्चित किया जाये जिससे किये गये कार्यों की मानीटरिंग आसानी से की जा सके ।

वि०स०: 13 कैमालीन योजना के अन्तर्गत, पुराने संजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करके रूपा उपलब्ध कराया जाये ।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुमालन आख्या का अलोकन किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 3

दोस-तृतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ-विक्रम प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।

निर्णय :

प्रगति का अलोकन किया गया । प्रगति के प्रति माननीय सदस्यों ने तन्तोटा व्यक्त किया एवं प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की गई ।

प्रस्ता:—

विज्ञाप संख्या: 4

अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण ।

निर्णय :

अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति विवरण हेतु निर्धारित प्रासम के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि प्रचलित प्रासम सन्तोषजनक नहीं है । इस प्रासम को परिवर्तित किया जाये एवं तदनुसार आगामी बैठक में प्रगति विवरण प्रस्तुत किया जाये ।

विज्ञाप संख्या: 5

गोमती नगर योजना में होटल हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्राधिकरण ने इन्डियन होटल ग्रुप द्वारा दिये गये प्राथमिकतापत्र पर विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि पाँच सितारा होटल हेतु इन्हे भी 5 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाये । इसके अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि की जो माँग की गई है इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इस विज्ञाप में दर्ज एवं कन्डीशन्स बनाकर पहले विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करा लिये जाये तब इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जाये ।

विज्ञाप संख्या: 6

विभिन्न व्यक्तियों को अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विज्ञाप यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 7

श्री गोपाल शर्मा, क्रिकेट खिलाड़ी को रियायती दर पर भूमि आवन्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लखनऊ निवासी खिलाड़ियों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु गाइड लाइन्स बनाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विज्ञाप संख्या: 8

श्री जीवेन्द्र नाथ कौल को भूखण्ड आवन्तन हेतु गठित उप-समिति की आख्या के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

श्री जीवेन्द्र नाथ कौल को जो भूमि आवन्तित की जा रही है वह पुराने शासनदेश के सामान्य नियमों व शर्तों के आधार पर दी जाये । जिस प्रकार अन्य आवन्तियों को इससे पूर्व में भूमि

कृपया:—

उपलब्ध कराई गई है उन्ही प्रकार इन्हे भी आवन्तित की जाये परन्तु कोई भी आरामशील लगाने से पूर्व विकास प्राधिकरण की अनुमति अवश्य ली जाये तथा मास्टर प्लान के अनुस्र ही कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 9

दिनांक 14-8-1986 को परिचायन द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन ।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

विषय संख्या: 10

स्व० श्री प्रभा दयाल सेवानिवृत्त सुपरवाइजर को हेडमाली के पद में प्रत्यावर्तित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 11

कास्टिंग विभाग में पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के दौरान प्रस्तावित पदों हेतु निम्न आर्हताये बताई गई :-
डिप्टी कास्ट स्काउन्टेन्ट
आर्हताये

आई०सी०डब्लू०ए०इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण किसी सार्वजनिक उपक्रम अथावा उत्तर प्रदेश शासन के किसी विभाग में कास्टिंग सम्बन्धी कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव ।
अथावा

बी०काम प्रथम श्रेणी या एम०काम द्वितीय श्रेणी तथा किसी सार्वजनिक उपक्रम या राजकीय विभाग में कास्टिंग सम्बन्धी कार्य का 6 वर्षों का अनुभव ।

इकोनामिक प्लानिंग असिस्टेन्ट

आर्हताये :

आई०सी०डब्लू०ए०इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण तथा राजकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में आर्थिक नियोजन से सम्बन्धित कार्य का कम से कम एक वर्षों का अनुभव ।
अथावा

एम०काम० द्वितीय श्रेणी या एम०ए०अर्थशास्त्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण तथा किसी राजकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में आर्थिक नियोजन से सम्बन्धित कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव ।

उपरोक्त प्रस्ताव का यथा-वत् अनुमोदन किया गया ।

कृपया:—

विज्ञाप संख्या: 12

प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पदों के सृजन की संस्तुति की जाती है, यह संस्तुतियाँ शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जायें परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्राधिकरण में तीन वर्ग से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ही इन पदों पर समायोजित किया जायेगा, कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी ।

विज्ञाप संख्या: 13

प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को माइकिल भात्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु माइकिल भात्ता रु० 20/- से बढ़ाकर रु० 40/- प्रतिमास किया जाता है ।

विज्ञाप संख्या: 14

प्राधिकरण में स्टेटिस्तिकल सेल की स्थापना के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

इस सम्बन्ध में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके विभाग से प्रतिनिधिक पर दो स्टेटिस्तिकल-असिस्टेन्ट उपलब्ध कराये जा सकते हैं, तदनुसार आगामी कार्यवाही की जाये । यदि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग से उक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो प्रस्ताव के अनुसार कान्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति कर ली जाये ।

विज्ञाप संख्या: 15

प्राधिकरण में मूलिन वस्ती निवृत्तन योजना के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु शोधक योग्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 16

प्राधिकरण में कर्मचारी कल्याण निधि {वेनीयलेन्ट फन्ड} की स्थापना के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

क्रमशः—

विज्ञाप संख्या: 17

प्राधिकरण के पार्कों के रखा-रखाव के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि विकास प्राधिकरण, पार्कों के रखा-रखाव के सम्बन्ध में जो टर्मस एवं कन्डीशन्स बनाये उसे अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित करा ले एवं प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा प्रगति का विवरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विज्ञाप संख्या: 18
=====

प्राधिकरण के वार्षिक लेखा एवं बैलेन्स शीट वर्ष 1983-84 का सम्परीक्षण।

निर्णय :
=====

विकास प्राधिकरण ने बैलेन्स-शीट का अवलोकन किया तथा निर्देश दिये कि इसे एकाउन्टेन्ट जनरल के यहाँ आडिट हेतु संस्तुति सहित भेजा जाये तथा उनकी संस्तुति प्राप्त की जाये।

विज्ञाप संख्या: 19

उद्दान विभाग हेतु सऊ ट्रेक्टर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा साथ ही यह धारा निर्णय लिया गया है कि उन मामलों में जहाँ पर कि बड़ी ख़रीद का विचार विचाराधीन हो, उस निविदा समिति में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण भी एक सदस्य होंगे।

विज्ञाप संख्या: 20

उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-56(1)(ख) के अधीन दस्तावेजों एवं मानचित्रों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

यथा-प्रस्तावित संस्तुतियाँ स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दी जायें तथा नियमावली में मामली परिवर्तन हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

विज्ञाप संख्या: 21

यूपीएसटीवी के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि को विकास प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यूपीएसटीवी के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि को प्राधिकरण की आगामी बैठकों में स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जाया करे।

शुभम्:—

विज्ञाप संख्या: 22

योगीश्वरन डेवलपमेंट एण्ड वाटर सप्लाय प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 697.46 लाख का ऋण प्राप्त करने एवं सेक्टर "आई" में प्रस्तावित विकास कार्यों के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 23

अलीगंज योजना के टैंक सीवर निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 24

गोमती नदी तथा गोमती नगर योजना के बीच के क्षेत्र का जोनल प्लान तथा विकास हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव सिधदान्त स्तर में स्वीकार किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि जो क्षेत्र ग्रीन-बेल्ट के स्तर में छोड़ा जाना है उसे सेन्ट्रल पार्क का स्तर देकर छोड़ा जाये और इसे किसी भी स्थिति में देचा नहीं जायेगा । यह भी देखा लिया जाये कि 100 एकड़ रेज़ीडेन्शियल के बजाये 40-50 एकड़ कायविल से योजना वायविल हो सकती हो तो योजना वायविल करके वचे हुए क्षेत्र को ग्रीन रक्खा जाये ।

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार डिटेल्ड वर्किंग करके अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित करा लिया जाये तथा तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

विज्ञाप संख्या: 25

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकृतित आवासीय कालोनियों के भावनों में दूकान चलाने की अनुमति ।

निर्णय :

माननीय सदस्यों का यह मत था कि इस योजना को अलीगंज योजना के अन्तर्गत प्रयोगात्मक स्तर से 2-3 सेक्टरों में प्रारम्भ करके देखा जाये और यदि योजना सफल होती है तो इसका प्रगति विवरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । तदुपरान्त सम्पूर्ण स्तर से इस योजना के क्रियान्वन हेतु विचार किया जा सकेगा ।

विज्ञाप संख्या: 26

इन्दुलोक कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 27

90 वर्ग की लीज पर ली जाने वाली भूमि पर प्रीपैड लीज-रेंट वसूल किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

- विज्ञाप संख्या: 28 सहकारी भाषि विकास बैंक लिमिटेड,
10- मालखुन्सु के भू-उपयोग परिवर्तन के
सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित अनुमोदित किया गया
तथा साथ ही यह निर्देश दिये गये कि
पार्किंग एवं एफओआर आदि के सम्बन्ध में
जो भी उचित प्रतिबन्ध लगाने हों वह
लगाकर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर
दिया जाये ।
- विज्ञाप संख्या: 29 लखनऊ महानगरी के विकास हेतु प्रस्तावित
जन संख्या, भा-आच्छादन एवं एफओआर
में सम्बन्धित उपविधायों ।
- निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया
गया कि शासन को विधिक परीक्षा कराये
जाने हेतु सूचना प्रेषित की जाये ।
- विज्ञाप संख्या: 30 रायवरेली रोड पर भू-उपयोग परिवर्तन के
सम्बन्ध में ।
- निर्णय : यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 31 आवासीय भावन निर्माण हेतु पंचलित रोड-बैंक
में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : संस्तुति के साथ शासन को अनुमोदन हेतु
प्रेषित किया जाये ।
- विज्ञाप संख्या: 32 वर्तमान निर्मित व विकसित क्षेत्रों एवं
विकसित हो रहे अविकसित क्षेत्रों में
भू-उपयोग हेतु जोनिंग रेगुलेशन ।
- निर्णय : विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया
कि विधिक परीक्षा कराये जाने हेतु
शासन को सूचना प्रेषित की जाये ।
- विज्ञाप संख्या: 33 भावन विभाग में मानचित्रों के सरलीकरण के
सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया
गया कि प्रस्ताव के पैरा-2 में यह विन्दु और
जोड़ दिया जाये कि निर्माण होते समय
विकास प्राधिकरण अपने स्तर से भी स्थल
निरीक्षण कराता रहेगा और निर्माण की
चेकिंग करने वाले अधिकारीगण यदि किसी
प्रकार की लापरवाही करते हैं तो उनके
विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञाप संख्या: 34

निर्णय :

छोटे छोटे नजल भूखण्डों पर प्लॉट होल्डर्स द्वारा स्वयं भूखण्डों के विकसित करने की योजना । प्रस्ताव निम्न संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया :

- 1- भूखण्ड का 25 प्रतिशत के बजाये 33-1/3 प्रतिशत भूखण्ड सोशल सर्विसिज़ के लिये आरक्षित रहेगा और इस भूखण्ड पर जो ई0डब्लू0एस0 या एल0आई0जी0 भावन बनाये जायेंगे उसमें भूमि का मूल्य नहीं चार्ज किया जायेगा और उसकी भूमि का स्वामित्व भूमि या तो लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं लेकर आवंटन की प्रक्रिया करेगा या भूमि के लीज़ होल्डर उनका टाइटिल आवंटियों को नियमानुसार देव देगे ।
- 2- आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर कोई प्रतिशत नहीं लिया जायेगा । यह केवल पूरे भूखण्ड के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञाप संख्या: 35

निर्णय :

श्री प्रकाश नारायण सेठ, 19-विधान सभा मार्ग, लखनऊ के भूखण्ड संख्या: दो-3 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि शासन-आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत मूल्य जमा करा लिया जाये । एफ0ए0आर0 एवं ग्राउन्ड कवरेज का परीक्षण उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा करके पुनः शासन को भोजा जाये ।

विज्ञाप संख्या: 36

निर्णय :

प्राधिकरण के अभिलेखों के सम्बन्ध में वीडिंग रूल के अनुबन्धन के सम्बन्ध में ।

यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 37

निर्णय :

भावन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करने व अपील करने हेतु लिये जाने वाले गार्ल्क की दरों का पुनरीक्षण

यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विज्ञाप संख्या: 38

निर्णय :

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन ।

विचार विमर्श उपरान्त इस विज्ञाप में यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को धारा-32 के अन्तर्गत प्रतिनिधायन शक्तियों को किसी अन्य को प्रतिनिधायन करने की शक्ति प्रदान की जाती है, इसके अनुसार उपाध्यक्ष कार्यवाही करें ।

विज्ञाप संख्या: 39

निर्णय:

बजट 1986-87 के विधुद 30-11-86 तक अनन्तित आय-व्यय की स्थिति ।

आय-व्यय की स्थिति पर माननीय सदस्यों ने

क्रमांक:—

प्रसन्नता व्यक्त की और यह कहा कि इसी प्रकार कार्यवाही भाविष्य में भी की जाती रहे ।

विषय संख्या: 40

लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन को पद सृजन हेतु भेजा जाये और उपरोक्त पद पर श्री मोहम्मद वासिल, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति किये जाने की भी संस्तुति की जाती है ।

विषय संख्या: 41

पुताप सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि अर्जन से मुक्त करने अथवा भूमि आवन्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

समयाभाव के कारण विचार नहीं हो सका । आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये एवं इस अवधि में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाये ।

विषय संख्या: 42

कानपुर रोड योजना के ड्रेनेज तथा सीवरेज हेतु कनसल्टेंट की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 43

आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न योजनाओं में साइट एण्ड सर्वेसिंग भाखाण्डों के विकास हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति ।

निर्णय :

प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 44

लखनऊ विकास प्राधिकरण शासन-उपविधि 1986 के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

शासन के सम्बन्ध में जो उप-विधियाँ बनाई गई हैं उनका परीक्षा अध्या, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण डायरेक्टर, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक की एक उप-समिति द्वारा करने के उपरान्त इस उपविधि को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाये । इस सम्बन्ध में उप-समिति तीन सप्ताह के अन्दर इसका परीक्षा करके अपनी रिपोर्ट दे दे ।

ह०/-

§ गोविन्दन नायर §
उपाध्यक्ष

ह०/-

§ शोलेषा कृष्णा §
सचिव

अ नु मो दि त

ह०/-

§ वृजेश कुमार §

आयुक्त, लखनऊ जण्डल एवं अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

विज्ञाप संख्या: 2

पृष्ठ संख्या: 11

विज्ञाप : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 का कार्यवृत्त अभी जल्दी ही प्रसारित किया गया है, अतः लिये गये निर्णयों पर समुचित अनुपालन में कुछ समय लगेगा, अस्तु अनुपालन आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।

बजट 1986-87 के विरुद्ध 31-12-86 तक अनन्तिम आय व्यय की स्थिति/प्राधिकरण के सूचनार्थ

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट दिनांक 11-4-86

को प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था। पारित बजट के विरुद्ध वास्तविक आय तथा व्यय की स्थिति निम्नवत् है। आय तथा व्यय की तीव्र प्रगति को देखते हुए आशा की जाती है कि वर्ष अन्त तक बजट लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो जायेगी। विभिन्न श्रोतों की आय पूर्व बर्षों की अपेक्षा अधिक है। भूमि अर्जन/विकास का व्यय प्रकट करता है कि प्राधिकरण भूमि प्रतिकर के भुगतान में सतर्क है तथा विकास की ओर अधिक ध्यान दे रहा है।

1.1 सारांश में आय व्यय की स्थिति निम्नवत् रही:-

मदें ===	मूल बजट अनुमान =====	अनन्तिम आकड़े 31-12-86 तक =====
प्रारम्भिक शोषा आय	₹ 120.00	₹ 269.84
	₹ 5640.24	₹ 4320.21
योग:	₹ 5760.24	₹ 4590.05
व्यय:	₹ 5639.74	₹ 3451.25
उच्चन्त खाते पर व्यय	-	₹ 283.17
अनन्तिम शोषा	₹ 120.60	₹ 855.63

1.2

मदें =====	आय =====	व्यय =====	₹ लाखा ₹ 00 में
अपने श्रोतों से	सृष्टि		
1. अलीगंज	138.94	-	99.09
2. कानपुर रोड	342.18	1072.47	1046.15
3. गोमती नगर	843.85	595.88	1157.85
4. सीतापुर रोड	564.43	131.96	609.72
5. ला-प्लास	80.86	-	55.81
6. टिकैत राय	107.36	41.18	90.33
7. अन्य योजना	108.25	-	98.01
8. व्यवस्थापक केन्द्र के अतिरिक्त	23.96	-	27.13
9. हाटमिक्स प्लान्ट	16.87	-	32.58
10. सामान्य मदें	149.67	11.66	227.06
11. अनुदान	-	77.97	7.52
योग:	2364.37	1931.12	3451.25

1.3 प्राधिकरण के पास 1.1.87 को अनन्तिम अवशेष रू 855.63 लाख तथा विनियोजित धनराशि रू 670.57 लाख मिलाकर रुपये 1526.20 लाख का धन उपलब्ध था। रू 670.57 लाख की विनियोजित धन में रू 220.29 लाख दीर्घकालिक रू 450.28 लाख अल्प कालिक डिपॉजिट में है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनन्तिस आय व्यय विवरण 31-12-86 तक हेन्टेटिव ऑफिस, लखनऊ

व्यय श्रेणी	आय पक्ष				व्यय पक्ष				
	व्यय प्राविधान 1985-86	वास्तविक धारणा 31-12-85	व्यय प्राविधान 1986-87	वास्तविक धारणा 31-12-86	व्यय प्राविधान 1985-86	वास्तविक धारणा 30-11-85	व्यय प्राविधान 1986-87	वास्तविक धारणा 31-12-86 तक	
1. लीज रेन्ट	10.00	4.16	40.21	88.14	1. अधिष्ठान	107.76	85.35	125.00	110.63
2. हायर परचेज क्विटे	25.00	19.61	202.31	102.76	2. ऋणों का प्रति	347.10	247.02	564.67	565.79
3. भावन/दकानों का किराया	43.50	17.66	46.55	12.26	3. भूमि अर्जन	510.00	325.00	950.00	773.00
4. भावनचित्र/अन्य शुल्क	14.10	21.79	30.00	6.90	4. विकास कार्य	1154.55	503.99	1732.00	843.28
5. भूमि की विक्री	1205.00	952.63	1800.00	1262.81	5. भावन नियंत्रण	2314.00	785.01	1580.00	762.58
6. भावन की विक्री से	2152.12	700.19	1600.00	775.84	6. व्यापक केन्द्र	290.00	60.92	177.00	18.99
7. व्यापक केन्द्रों से	299.06	41.20	400.00	30.66	7. स्टोर	210.00	215.81	200.00	156.49
8. अन्य प्राप्तियाँ	92.80	45.16	57.00	70.13	8. ई0गांधी से0 व्यव0 केन्द्र	-	-	56.00	7.52
9. प्रासंगिक ऋण/अनुदान/डिपॉजिट	105.00	27.67	264.17	626.50	9. विश्व बैंक परि0	-	-	87.17	0.85
10. संस्थागत ऋण हेडको	700.00	612.91	1200.00	1331.49	10. डिपॉजिट कार्य अन्य रिफ्रैंड कन्ट्रोलिंग रिकॉर्डिंग	214.36	230.39	167.80	19.12
11. उच्चतम शांति से आय	-	-	-	12.72					
योग:	4651.58	2442.28	5640.24	4320.21		5147.77	2453.49	5639.74	3451.25
								विनियोजित	283.17

भावन मानचित्रों के सम्बन्ध में आख्या

माह	माह के आरम्भ में	माह में नवीन	प्राप्त पुनः	योग	स्वीकृत संख्या	वापस मानचित्र	3 माह से पेन्डिंग	माह के अन्त में अवशोषण	एक वर्ष से लम्बित
अप्रैल, 86	276	155	431	105	102	-	224		
मई, 86	224	135	359	7	6	-	344		
जून, 86	344	137	481	14	65	-	402		
जुलाई, 86	402	126	528	58	58	-	412		
अगस्त, 86	412	124	536	42	46	-	448	29	
सितम्बर, 86	448	182	630	31	82	72	517		
अक्तूबर, 86	517	134	651	42	47	121	559		
नवम्बर, 86	559	42	601	9	24	131	568		
दिसम्बर, 86	568	174	742	67	286	74	383		

अवैध निर्माण तथा उनके सम्बन्ध में दायर मुकदमों का विवरण

क्रम सं०	वर्ष	जारी की गई नोटिसें	भावन गिराओ आदेश	शामन आदेश	निरस्त	शामन शाल्क की वसूली	गिराये गये निर्माण की संख्या
1-	1984-85	1315	899	327	89	2,09,466.00	24
2-	1985-86	1488	1181	201	106	8,81,364.54	56
3-	1986-87	851	494	29	47	51,884.64	92
						योग: 11,42,715.18	

अन्य विवरण:

- 1- 281 नोटिसों पर विहित प्राधिकारी के यहाँ कार्यवाही प्रगति में है ।
- 2- वर्ष 1986-87 में इसके अतिरिक्त वृहत स्तर पर निम्न डिमा लिशान और किये गये :
 - क- नबीउल्ला रोड से अतिक्रमण हटाना
 - ख- विद्या मार्केट पार्क राजेन्द्र नगर से अतिक्रमण हटाया गया ।
 - ग- बशीरतगेज राजेन्द्र नगर स्कीम से 16 अनधिकृत स्म से निर्मित मकान गिराये गये ।
 - घ- मेडिकल कालेज के निकट सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाये गये ॥ सुभाषा आवास समिति ॥
 - ड.- सोनिया नगर भाँखामपुर से प्राधिकरण भूमि पर से वृहत अतिक्रमण हटाये गये ।

अध्यागृहण सम्बन्धी प्रगति विवरण

23 सितम्बर, 86 से 31 दिसम्बर, 86 के मध्य घोषित एवाडों का विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में
1-	उजरियांव आवासीय योजना भाग -1	969.78
2-	सरोजनी नाथू मार्ग को चौड़ा करना	1.082
3-	मीरतकी मीर आवासीय योजना	1.42
4-	बटलरगंज भूखण्ड सं०-23 पर योजना	1.73
5-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	1527.72
6-	हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी योजना	1355.97
7-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1	565.31
8-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2	504.09
9-	उजरियांव आवासीय योजना भाग-2	1776.67
10-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3	1632.62
11-	विश्वेश्वर नाथ रोड पर कार्यालय हेतु भूमि अर्जन	1.73

कुल योग 8, 338.122

हडको से भूमि अध्याप्त हेतु प्रस्तावित ऋण

1-	उजरियाँ आवासीय योजना भाग-2 प्रथम चरण	रु० 297.84 लाख
2-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3 प्रथमचरण	रु० 289.60 लाख
3-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1 प्रथमचरण	रु० 100.00 लाख
4-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2 फेज-2	रु० 105.42 लाख
5-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2 प्रथम चरण	रु० 344.06 लाख

रु० 1138.92 लाख

ग्रासन से भूमि अध्याप्त हेतु प्रस्तावित ऋण

1-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	रु० 458.34 लाख
2-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3	रु० 520.00 लाख

वित्तीय वर्ष 1986-87 में अब तक भुगतान की गयी प्रतिकर की धनराशि

क्रम सं०	योजना का नाम	भुगतान धनराशि लाखों में
1-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	रु० 485.00
2-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1	रु० 100.00
3-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2	रु० 215.00
4-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3	रु० 260.00
5-	बटलरगंज योजना	रु० 001.00
6-	बाटरवर्क योजना	रु० 005.00
7-	टिकैतराय तालाब योजना भाग-2	रु० 002.00
8-	उजरियांब आवासीय योजना भाग-1	रु० 110.00
8-	उजरियांब आवासीय योजना भाग-2	रु० 020.00
योग		रु० 1198.00

वित्तीय वर्ष 1986-87 में विभिन्न योजनाओं में प्रतिकर भुगतान हेतु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण का वितरण :-

॥ अ ॥ हड्डे व हडको द्वारा

1. उजरियांव आवासीय योजना भाग-2 प्रथम चरण	रु0 299.84 लाख
2. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3 प्रथमचरण	रु0 289.60 लाख
3. सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1 प्रथम चरण	रु0 100.00 लाख
4. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2 प्रथमचरण	रु0 344.06 लाख

रु01023.50 लाख

॥ ब ॥ शार्ट टर्म लोन

शार्ट टर्म लोन

रु0 500.00 लाख

कुल योग अ + ब

1023.50 + 500.00

= 1523.50 लाख

योजनाएँ जिनकी विविधियाँ जारी की जा चुकी हैं :-

क्रमसं०	योजना का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में
1-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	1527.72
2-	हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी योजना	1355.97
3-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1	563.31
4-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2	969.09
5-	उजरियाँव आवासीय योजना भाग-	969.09
6-	सरोजनी नाथडूमार्ग को चौड़ा करना	1.08
7-	बटलरगंज भूखण्ड सं०-23 पर योजना	1.73
8-	मीरतकीमीर आवासीय योजना	1.42
9-	उजरियाँव आवासीय योजना भाग-2	1776.67
10-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3	1632.62
11-	विश्वेश्वर नाथ रोड पर कार्यालय हेतु भूमि अर्जन	1.73
12-	डालीबाग पुनर्वासि योजना	1.10
13-	टिकैतराय तालाब आवासीय योजना	27.98
14-	कुर्सी रोड को कृष्णपुरी होकर महानगर से मिलाने की योजना	3.81
15-	उजरियाँव आवासीय योजना भाग-3	271.11
16-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4	1324.73
17-	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2	1147.20
18-	बजीरहसन रोड व बटलर रोड के बीच बंधा बन जाने के कारण अवशेष भूमि पर ल०वि०प्रा० द्वारा आवासीय योजना	1.22
19-	वाटरवर्क्स रोड स्ट्रीट योजना	7.75
20-	नवल किशोर रोड पर पार्किंग योजना	1.05
21-	भवानी आवासीय योजना	10.30
22-	उमराव टाकीज के पास योजना	1.40
23-	सीतापुर रोड पश्चिम योजना	136.90
24-	बटलरगंज योजना के अन्तर्गत वजीरहसन रोड पर आवासीय योजना	2.25
25-	पेपरमिल कालोनी के पास आवासीय योजना	12.39
कुलयोग		11,285.31
		एकड़

शासन स्तर पर विचाराधीन योजनाएं

क्रमांक	योजना का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में
1-	ए0पी0सेन रोड प्लॉट नं0-14	0.923
2-	अलीगंज सब्जीमण्डी योजना	0.980
3-	शोखपुर कसेला पुनर्वासि योजना	66.49
4-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-5	81.40
5-	अलीगंज आवासीय योजना भाग-2	20.25
6-	गोमती आवासीय योजना भाग-1	20.11
7-	नार्मल स्कूल के पीछे १	
7-	गोमती आवासीय योजना भाग-2	45.05
8-	गोमती आवासीय योजना भाग-3	8.79
9-	गोमती आवासीय योजना भाग-4	3.41
10-	बर्लिंगटन हॉटल के पास आवासीय योजना	4.02
कुल योग		251.393 एकड़

जिलाधिकारी स्तर पर विचाराधीन योजनाएं :-

क्रमांक	योजना का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में
1-	राधाग्राम आवासीय योजना	551.88
2-	बटलरगंज भूखण्ड सं०-59, 60, 61, 62 पर आवासीय योजना	2.25
3-	कुर्सी रोड को चौड़ा करने के सम्बन्ध में	8.34
4-	लिबर्टी सिनेमा के निकट व्यवसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन	1.04
5-	टिकैतराय तालाब आवासीय योजना भाग-2	35.32
6-	अशोक मार्ग पर आवासीय योजना	1.59
7-	न्यू हैदराबाद स्थिति प्लॉट नं०-440/12बी पर आवासीय योजना	0.76
8-	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना भाग-3	1.03
9-	उजरियाव आवासीय योजना भाग-4	33.15
10-	कार्ल्विन कालेज के पास बीरबल साहनीमार्ग पर आवासीय योजना	9.02
11-	बटलरगंज भूखण्ड सं०-38, 39, 40, 41 एवं 41 ए पर आवासीय योजना	1.30
12-	महाराणा प्रताप मार्ग पर स्थिति शाहनजफ के आस-पास की भूमि पर न्यायालय योजना	7.62
13-	राणा प्रताप मार्ग पर आवासीय योजना	3.16
14-	कान्यकुब्ज कालेज के पास खाली पड़ी भूमि का अर्जन	3.54
15-	तेजबहादुर स्मरु मार्ग पर योजना	0.45
16-	नेपियर रोड योजना भाग-3	85.00
17-	नेपियर रोड योजना भाग-4	19.50
18-	कैम्बल रोड आवासीय योजना	1399.96
19-	मौतीझीन आवासीय योजना	38.22
20-	निराला नगर योजना फेज-4	0.43
21-	निरालानगर योजना फेज-5	0.36
22-	निरालानगर योजना फेज-6	0.34
23-	निरालानगर योजना फेज-7	0.76
24-	मौ० गणेशगंज लखनऊ स्थिति हातामातादीन क्षेत्र को गुस्दारा रोड तक बढ़कर आवासीय योजना	4.54
25-	रुस्तम नगर आवासीय योजना सहादतगंज कूडा घर के पश्चिम	8.34
26-	प्रयागपुर हाउस नं०-1 पर किम्पो स्टेण्ड एवं आवासीय योजना	1.39
27-	महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना	8.50
28-	कैन्ट रोड पर व्यवसायिक योजना	1.32
29-	नूरवाडी आवासीय योजना	12.07
30-	टिकैतराय तालाब अवसंस्थान-विकास सौन्दर्यकरण एवं आस पास के क्षेत्र पर आवासीय योजना	10.69
31-	कार्मिशियल काम्पलेक्स एवं आवासीय स्टेशन रोड योजना	1.02
32-	4 एपी०सेन रोड योजना	1.41
33-	योजना भवन के सामने स्थिति रोड को चौड़ा करने के सम्बन्ध में	0.49
34-	फातिमा अस्पताल हेतु इसके निकट की भूमि का अर्जन	

प्राधिकरण स्तर पर तैयार की जा रही योजनाएं

क्रमांक	योजना का नाम
1-	सीतापुर रोड पश्चिम योजना में छोटे हुए नम्बरों का पुनः नोटीफिकेशन
2-	माल रोड एवं त्रिलोकीनाथ रोड के मध्य स्थिति रेलवे कार्यालय एवं नगर महापालिका कार्यालय का अर्जन ।
3-	कार्लटन हॉटल पर आवासीय क्षेत्र योजना
4-	अलीगंज सुनहरा आवासीय योजना
5-	मोहल्ला नौबस्ता बस्ती सुधार योजना
6-	भिलावा आवासीय योजना
7-	जयहिन्द सिनेमा
8-	आफिस कम्पाउण्ड
9-	पेपर मिल के पास आवासीय योजना भाग-2
10-	रामतीर्थ मार्ग पर आर्य समाज मंदिर के पास स्थिति नजूल भूखण्ड पर पर आवासीय योजना
11-	आर्य समाज मंदिर के पास स्थिति हिलटनमार्ग पर आवासीय योजना
12-	बटलरगंज योजना के भूखण्ड सं०-15, 16 पर आवासीय योजना
13-	बटलरगंज योजना के भूखण्ड सं०-63 एवं 63 वी पर आवासीय योजना
14-	बटलरगंज योजना के भूखण्ड सं०-3 व 4 पर आवासीय योजना
15-	मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थिति भूखण्ड सं०-19 पर आवासीय योजना ।

क्र.सं.	योजना का नाम	कब्जा प्राप्त [एकड़ में]
1.	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	1298.08
2.	हरदोई रोड पर कैटल कालोनी योजना	414.19
3.	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1	469.67
4.	कानपुर रोड नगर प्रसारयोजना भाग-2	430.904
5.	उजरियावं आवासीय योजना भाग-1	
	विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारीसे	937.26
	सलेज फार्म	557.07
	नगर महापालिका से	325.31
6.	सरोजनी नायडू मार्ग को चौड़ा करना	0.363
7.	मीर तकी मीर आवासीय योजना	1.42
8.	उजरियावं आवासीय योजना भाग-2	1237.88
9.	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3	853.76
10.	विश्वेश्वर नाथ रोड पर कार्यालय हेतु भूमि अर्जन	1.73
11.	डालीबाग पुनर्वासि योजना [नजूल भूमि]	12.46
12.	टिकैतराय तालाब आवासीय योजना	24.23
13.	कुर्सी रोड को विष्णुपुरी होकर महानगर से मिलाने की योजना	3.32
14.	नवल किशोर रोड पर पार्किंग योजना	1.05
15.	बटलरगंज योजना के अन्तर्गत वजीर हसन रोड नगरपर आवासीय योजना	2.25
16.	उमराव टाकिज के समीप योजना	1.40

कुल योग 6,572.347 एकड़

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित कुल देय प्रतिकर [लाखों में]	वि०सू०अ०अ०न०अ०प० नगरों के दो मई एन०ए०ए० [लाखों में]	वि०सू०अ०अ०अ०अ०अ० नगरों के दो मई एन०ए०ए० [लाखों में]	योग [लाखों में]
1.	उजरियाव आवासीय योजना भाग-1	422.44	60.00	215.00	275.00
2.	सरोजनी बायड मार्ग को चौड़ा करना	000.47	-	005.43	005.43
3.	मीर लकी मीर आवासीय योजना	000.62	2.00	-	002.00
4.	लालर भंज भूखण्ड सं० 23 पर योजना	000.75	3.00	-	003.00
5.	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	565.47	565.00	-	565.00
6.	हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी योजना	590.66	5.00	-	0005.00
7.	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1	646.25	315.00	065.00	280.00
8.	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2	219.58	-	385.03	385.03
9.	उजरियाव आवासीय योजना भाग-2	773.66	-	135.00	135.00
10.	उजरियाव आवासीय योजना भाग-3	118.10	-	-	-
11.	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3	711.17	230.20	-	230.00
12.	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4	577.05	020.00	-	020.00
13.	कुसींडरोड को विष्णुपुरी होकर महानगर से मिलाने की योजना	001.66	-	-	-
14.	विश्वेश्वर नाथ रोड पर कार्यालय हेतु भूमि अर्जन	000.75	005.00	-	005.00
15.	टिकैत राय तालाब आवासीय योजना	12.19	007.00	-	007.00
16.	डालीबाग पुनर्वास योजना	000.48	002.00	-	002.00

1	2	3	4	5	6
17.	सीतापुर रोड तगर प्रसार योजना भाग-2	499.72	-	-	-
18.	वजीर हसन रोड व बटलरगंज रोड के बीच ग्राम पर आवासीय योजना	000.53	-	-	-
19.	वाटर वर्क्स रोड स्ट्रीट योजना	003.38	-	5.00	-
20.	बदल मिर्जापुर रोड पर पार्किंग योजना	000.46	005.00	-	005.00
21.	झांसी आवासीय योजना	004.49	-	-	005.00
22.	उमराव टाकीज के समीप योजना	000.61	-	-	-
23.	वजीर हसन रोड पर आवासीय योजना	000.00 000.98	-	-	-
24.	पेपर मिल काठौली के पास आवासीय योजना	0058.39	-	001.00	001.00
25.	सीतापुर रोड पश्चिम योजना	059.63	-	-	-
योग		4,916.49	1219.20	811.46	2030.66

शासन में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी लम्बित विषयों की सूची ।

=====

1. उजरियावे आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन ।
2. उजरियावे आवासीय योजना भाग-3 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन ।
3. लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत ट्रांस-कुरैल क्षेत्र की प्राथमिक महायोजना के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
4. डालीबाग पुनर्वासि योजना के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
5. हरदोई रोड पर कौटिल कालोनी योजना के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
6. विश्वेश्वर नाथ रोड पर कार्यालय हेतु अर्जित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
7. लखनऊ डिस्ट्रिक्ट-सी के भू-उपयोग का निरूपण ।

विज्ञाप संख्या: 7

पृष्ठ संख्या: 29

विषय: भावन निर्माण, विकास एवं आवन्तन
सम्बन्धी प्रगति आख्या ।

भावन निर्माण एवं विकास से
सम्बन्धित अभियन्त्रण विभाग तथा
आवन्तन से सम्बन्धी आख्या अलग से
प्रस्तुत की जा रही है ।

विषय: प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि अर्जन से मुक्त करने अथवा भूमि आवन्तन के सम्बन्ध में ।

प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति ने एक प्रार्थनापत्र दिया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि समिति की भूमि जो ग्राम कामता व विजयीपुर में है, उसे समिति के पक्ष में छोड़ दिया जाये और उन्हे भूमि को विकसित करने की अनुमति दी जाये । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि समिति की भूमि पर एक अच्छा सा बाग़ है जिसके वृक्षों को काटा न जाये ।

शासन द्वारा सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया गया है जिसमें शासनादेश संख्या: 5741/11-5-86, दिनांक 29 जुलाई, 86 तथा शासनादेश संख्या-4480/37-2-86, दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 प्रमुखा हैं । शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं । उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत सहकारी समितियों की भूमि, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवन्तित करने अथवा अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रोसीजर रिवाल्व करना आवश्यक है ।

मानचित्र के अनुसार प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, मारुति पुरम, फेजाबाद रोड, लखनऊ की योजना का क्षेत्रफल 23,52,919 स्क्वायर फिट है । इसमें कोल्ड स्टोरेज हेतु 1,95,687 वर्गफिट भूमि तथा मोटर सेल्स हेतु 4,13,425 वर्गफिट एवं फेजाबाद रोड को चौड़ा करने में 97,580 वर्गफिट भूमि को निकालने के बाद शेष भूमि 16,46,225 वर्गफिट पर प्लानिंग की गई, दर्शाया गया है । इन्होंने जो सेलडीड्स जमा की हैं उन सेलडीड्स के अनुसार कुल ग्राम कामता की निम्नलिखित भूमि आती है :-

क्रमांक	क्षेत्रफल	क्रमांक	क्षेत्रफल
425	1-13-10-0	401	0-17-0-0
388	0-1-8-0	407	2-3-0-0
398	0-7-0-0	410	1-4-0-0
406	2-10-10-0	412	0-12-0-0
409	2-1-0-0	413	2-10-0-0
411	3-6-0-0	414	2-12-10-0
426	1-10-0-0	415	2-5-0-0
427	0-10-0-0	416	0-15-0-0
428	0-12-0-0	417	1-3-0-0
429	0-0-10-0	418	1-6-0-0
430	1-1-10-0	419	1-15-0-0
372	0-13-5-0	421	1-6-0-0
375	0-6-0-0	422	0-11-0-0
376	0-8-0-0		
		योग :	56-14-11-0

कुलफल: -----

377	0-19-0-0
378	0-19-0-0
379	1-12-0-0
364	0-17-13-0
408	0-19-0-0
380	1-6-0-0
384	0-19-5-0
185	2-0-0-0
387	0-11-0-0
393	0-3-0-0
396	5-3-4-0
397	4-15-16-0
400	0-3-10-0
402	0-15-0-0
423	1-1-0-0
424	0-10-0-0

इसी प्रकार ग्राम विजयीपुर की निम्नलिखित भूमि आती है :-

खासरा न०	क्षेत्रफल	खासरा न०	क्षेत्रफल
50	0-8-0-0	275	0-5-12-0
48	0-10-0-0	278	0-16-7-0
208	1-3-12-0	279	0-19-15-0
272	0-4-0-0	280	0-17-0-0
273	0-19-0-0	295	1-3-12-0
274	0-5-9-0	288	0-10-0-0
		योग:	8-2-7-0

इस प्रकार ग्राम कमता व ग्राम विजयीपुर की 13.487 एकड़ भूमि जो कि ले-आउट में दर्शाई गयी है वे तोसाइटी के पक्ष में रजिस्ट्री आदि होना प्रतीत नहीं होता है।

ग्राम कमता व विजयीपुर में निम्नलिखित भूमि ग्राम समाज की है :-

ग्राम विजयीपुर

खासरा नम्बर	क्षेत्रफल
265	0-1-0-0
267	0-3-0-0
277	0-1-0-0
296	0-6-0-0
297	0-9-0-0
योग:	1-0-0-0 ₹ 0.625 एकड़ ₹

ग्राम कमता

खासरा नम्बर	क्षेत्रफल	खासरा नम्बर	क्षेत्रफल
349	0-4-0-0	386	0-7-0-0
351	1-3-0-0	389	0-2-0-0
352	0-5-0-0	392	1-8-0-0
358	0-5-0-0	399	0-1-10-0
361	0-10-0-0	403	0-9-10-0
367	0-7-0-0	404	0-3-0-0
381	0-19-0-0	420	0-15-0-0
383	0-5-0-0	योग:	7-4-10-0

§ 4.52 एकड़ §

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समिति के पक्ष में जो सेलडीड हुई है वे केवल 40.528 एकड़ भूमि के लिये है।

समिति के पक्ष में जो सेलडीड हुई है उनको देखाने से यह प्रतीत होता है कि फुल सेलवैल्यु स्मथा 3,41,18,910/- की है। केवल स्मथे 8,910/- भुगतान किये गये हैं एवं अब भी समिति को २03,41,10,000/- भुगतान किया जाना अवशोका है। मुख्य दो बातें सेलडीड की इस प्रकार हैं :-

- 1- 25 प्रतिशत भूखण्ड विक्रेताओं को वापस देना होगा।
- 2- यदि अवशोका धानराशि का भुगतान 31-12-87 तक नहीं किया जाता है तो सेल-डीड स्वतः बेकार हो जायेगी।
- 3- विक्रेता समिति के सदस्य नहीं हैं।

उपरोक्त वस्तुस्थिति के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण को निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लेना आवश्यक है :-

- §1§ क्या प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा जो भूमि मांगी गई है उतनी ही क्षेत्रफल की भूमि उन्हें गोमती नगर योजना के फेज-2 में आवंटित कर दी जाये अथावा नहीं ?
- §2§ यदि उपरोक्त समिति को भूमि आवंटित की जाती है तो शासनादेशों के अनुसार किन-किन शर्तों को आवश्यक रूप से लागू करना होगा ?
- §3§ क्या समस्त सहकारी समितियों के सम्बन्ध में यही नीति लागू करनी होगी ?

गोमती नगर योजना के फेज-2 तथा अन्य योजनाओं में अनेकों सहकारी गृह निर्माण समितियाँ हैं, केवल गोमती नगर योजना के अन्तर्गत 12-13 सहकारी समितियाँ हैं जिनके मुकदमें माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते समय इन बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। यदि सहकारी समितियों को भूमि आवंटित की जाती है तो किन शर्तों के अन्तर्गत कहाँ पर भूमि आवंटित की जाये।

उपरोक्त आख्या विकास प्राधिकरण के विचाराधीन प्रस्तुत है।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग के
पत्र संख्या- 5741/11-5-86, दिनांक जुलाई 29, 1986
की प्रतिलिपि

आवास समस्या के त्वरित समाधान हेतु निर्णय लिया गया है कि सहकारी समितियों की क्षमता एवं शक्ति का उपयोग इस क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से किया जाये और उन्हें प्रोत्साहित किया जाय। उपरोक्त के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सहकारी समितियों के प्रमोटर्स के समूह में कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुस्मयण न कर सके और इस तरह से भूखण्ड न बेचे कि उसका विकास न हो पाये एवं नाली सड़क या अन्य विकास कार्य अधूरे रह जायें। प्रभावी अंशुना सहकारी समितियों पर रखाने के लिये जिससे कि उक्त भूखण्ड का समुचित विकास सन्तोषजनक ढंग से हो सके निम्न बिन्दुओं को कार्यान्वयन करते समय ध्यान में रखा जाये :-

1. विकास प्राधिकरण सहकारी समिति को उनकी आवश्यकतानुसार भूखण्ड अविकसित समूह में देगे।
2. इस भूखण्ड के आन्तरिक विकास का दायित्व प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार पूरा करने का सहकारी समिति का होगा।
3. भूखण्ड का विकास व ले-आउट को बनाते समय और कार्यान्वयन करते समय सहकारी समिति को प्राधिकरण की कालोनी के ले-आउट से सामंजस्य करना होगा।
4. भूखण्ड के बाहर का बाहरी विकास प्राधिकरण सहकारी समिति से अग्रिम पैसा जमा करा कर करेगे।
5. सहकारी समिति द्वारा आन्तरिक विकास को सन्तोषजनक पूरा करने के लिये सेक्योरिटी के समूह में भूखण्ड का 25 प्रतिशत भाग प्राधिकरण के पास धारोहर के समूह में रहेगा और प्राधिकरण का अधिकार होगा कि आन्तरिक विकास में कहीं कोई कमी हो तो उस 25 प्रतिशत भूखण्ड के प्लॉट को स्वयं विकसित कर बेच कर उस आय से विकास कार्य को पूरा करा दे। प्राधिकरण को स्वतन्त्रता होगी कि वह इसके अतिरिक्त सेक्योरिटी के समूह में कोई जमानत या बैंक गारन्टी समिति की ख्याति और तदर्थों के स्तर को देखाते हुए प्राप्त करने के आदेश दे।
6. सहकारी समिति को भूखण्ड प्राधिकरण से लेते समय भूमि का पूरा मूल्य प्राधिकरण के समक्ष जमा करना होगा और तत्पश्चात् प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किस्ते बाहरी विकास के लिये निर्धारित अवधि में देनी होगी। "डिफाल्ट" की दशा में प्राधिकरण सहकारी समिति को दिये गये भूखण्ड की "लीज़" को समाप्त कर पुनः वापस ले सकते हैं।
7. इस व्यवस्था में जो सहकारी समितियाँ प्राधिकरण की कालोनी के क्षेत्र में भूखण्ड प्राप्त करना चाहती हैं या प्राप्त कर चुकी हैं यदि वह भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा पहले से ही

"ले"आउट" बना कर बेच नहीं दिये गये हैं तो उन समितियों को ही अधिकतम धूखाण्ड का मूल्य प्राप्त कर विकास और आवन्तन के लिये दिये जा सकेंगे ।

2. प्रयोग के रूप में यह कार्य उपरोक्त चारों विकास प्राधिकरणों में इस वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा और इस अनुभव के परीक्षण के बाद अन्य विकास प्राधिकरणों में इसे गुणा व गुण के आधार पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में यथा समय निर्णय लिया जायेगा ।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग के पत्र संख्या-
4480/37-2-86, दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 की प्रतिलिपि

विषय: निबन्धित सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि अध्याप्त

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 8461/37-84-29 आ0स0/79 दिनांक 25 अप्रैल, 1984 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं का समाधान के समक्ष आती है रही है। इसमें से एक मुख्य समस्या यह है कि कितनी परिस्थितियों में किसी सहकारी समिति या कालोनाइज़र या विन्डर द्वारा विकसित की जा रही या खारीदी गई भूमि को अधिग्रहीत किया जाय या छोड़ दिया जाये। इस विषय में अभी तक कोई सामान्य नीति निर्धारित नहीं थी। भविष्य की कार्यवाही के लिये निम्न निर्णय लिये जाते हैं :-

§1§ यदि किसी सहकारी समिति ने किसी भूमि को खारीदने का रजिस्टर्ड ऐग्रीमेन्ट कर लिया है या भूमि को रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से खारीद लिया है तो उसे किसी आवासीय योजना के विकास के लिये अधिग्रहीत सामान्यतया जबतक कि किसी विशेष परिस्थितिवशा अति आवश्यक न हो न किया जाये। परन्तु अधिग्रहण छोड़ते समय सहकारी समिति को यह सहमति देना आवश्यक होगा कि वह उक्त भू-स्थल का विकास एक निश्चित समय सारणी के अनुसार करेगा। उसका "ले आउट प्लान" उन्हे प्राधिकरण या प्रेसक्राइब्ड एथारटी से अनुमोदित करना होगा। उसका वाह्य विकास जहाँ यह क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में है, प्राधिकरण में व्यय जमा कर कराना होगा। उसका आन्तरिक विकास वह स्वयं कर सकते हैं परन्तु उसका विवरण विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा और उसे सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने के लिये प्राधिकरण की आवश्यक सेक्योरिटी, जो प्राधिकरण निश्चित करे, देनी होगी।

§2§ इसी प्रकार प्राइवेट बिल्डर्स या कालोनाइज़र, यदि किसी भूमि के विषय में "ले आउट प्लान बनाकर विकसित करने के लिये रजिस्टर्ड ऐग्रीमेन्ट कर लेते हैं और उस ले-आउट प्लान को सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के पास अनुमोदन हेतु फाइल करते हैं तो सामान्यतया उस भूमि को अधिग्रहीत नहीं किया जायेगा। यहाँ भी माप दण्ड यही होगा कि अधिग्रहण का प्रस्ताव अनुमोदित होने के पूर्व "ले-आउट प्लान बनाकर ऐसे कालोनाइज़र ने विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हो तो इस सम्बन्ध में भी सहकारी समितियों के लिये जो शर्तें प्रस्तावित की गई हैं, वही लागू की जायेगी।

§3§ उपरोक्त निर्देशों की मंशा यही है कि शासन स्तर से प्राधिकरणों के कार्य में एक स्पष्टता लाई जाये। यदि कहीं किसी सहकारी समिति या कालोनाइज़र के द्वारा इस प्रकार की गाइडलाइन का दुस्प्रयोग किया जाता है या उनकी ख्याति खराब है तो वह इस प्रकार की सुविधा पाने के हकदार नहीं होंगे। चूँकि शासन का दृष्टिकोण है कि जहाँ तक सम्भाव हो, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र आवास व्यवस्था में विकास कार्य करने हेतु योगदान लिया जाये और प्राधिकरण उस क्षेत्र में आ गया है जहाँ पर इस प्रकार के वैकल्पिक क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं इसलिये

परस्पर प्रतिवन्दता के बजाय या उन्ही क्षेत्रों को जहाँ पर सहकारी समितियाँ संगठित हो सकती हैं या जहाँ पर प्राइवेट कालोनाइज़र्स विकास कर सकते हैं प्राधिकरण हस्तक्षेप सामान्यतया न करें किन्तु प्राधिकरण यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि उन समितियों का ले आउट प्लान या उन कालोनाइज़र्स द्वारा प्रस्तावित विकास की रूप रेखा उस क्षेत्र के बाकी हिस्से में अपनाये जा रहे ले-आउट तथा जोनल प्लान के अनुरूप हैं और ये सहकारी समिति या कालोनाइज़र्स उस क्षेत्र का समुचित रीति से विकास करें । इस हेतु उन पर पर्याप्त निगरानी रखी जाये और इस हेतु उनसे पर्याप्त जमानत प्राप्त की जाये ।

=====

अध्यक्षा, प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड
के पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 1986 जो उपाध्यक्षा लखानऊ-
विकास प्राधिकरण को सम्बोधित है, की प्रतिलिपि

विषय: प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, लखानऊ की भूमि जो गोमती नगर योजना फेज़-2 में उजरिया वि० के अर्न्तगत आती है, को अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

कृपया हमारे पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1986 का सन्दर्भ लें। उक्त पत्र में हमने आपसे विनम्र निवेदन किया है कि हमारी उपरोक्त समिति द्वारा खारीदी गयी भूमि ग्राम कामता व ग्राम विजयीपुर में है।

मान्यवर, विगत दिनांक 9 सितम्बर, 86 को हमारी समिति के सदस्यों ने आपसे वार्ता की थी। उस क्रम में आपके आदेशानुसार हमने फेज़ न०:2 का बड़ा मानचित्र बनवाकर उसपर समिति की भूमि की सीमाओं की स्थिति दर्शाकर उक्त मानचित्र की दो प्रतियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके अवलोकन से आपको समिति की भूमि के सम्बन्ध में वृहद जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

महोदय, सैलग्न मानचित्र से आपको स्वयं ज्ञात हो जायेगा कि हमारी समिति की जो भूमि ग्राम कामता में है, वह लाल रंग से तथा ग्राम विजयीपुर की भूमि नीले रंग से दर्शायी गई है। आम का बाग़ हरे रंग से तथा उद्दयानों, पार्कों को हरे व पीले रंग से दर्शाया है। बाकी भूमि मेसर्स हरविलास कोल्ड स्टोरेज व मेसर्स मोटर सेल्स वाड़ी विल्डिंग की है जिसकी सीमायें गाढ़े काले रंग से दर्शायी गई हैं।

मान्यवर, हमारे सदस्यों ने वार्ता के समय आपसे पुनः विनम्र निवेदन किया था कि आम के बाग़ के वृक्षा अभी 5 से 7 वर्ग पुराने हैं और शासन की नीति भी हरे व फलदार वृक्षा न काटने की है, अतएव आप कृपया कर हमें उक्त फलदार आम के बाग़ को फ्लिहाल न काटने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

महोदय, इस पत्र के साथ हम अपनी समिति की भूमि से सम्बन्धित 15 छाया चित्र (फोटो) आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे भी आपको हमारी समिति की भूमि की वास्तविक व विस्तृत जानकारी हो जायेगी।

अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि आम कृपा कर हमारी प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति लि० लखानऊ की भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही से शीघ्र मुक्त करने का कष्ट करें तथा हमारा मानचित्र जो आपके कार्यालय में विगत दिनांक 3-7-85 से लम्बित है, को स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा शीघ्र निर्णय लेने से हमारी समिति के समस्त सदस्य आपके हृदय से आभारी होंगे।

विज्ञाप: लखानऊ नगर के सतनियोजित विकास के केलिये
जनपथा मार्केट योजना हेतु एग्रोच रोड का स्थाई
रूप से भूमि अर्जन ।

उक्त भूमि की लीज़ राइट अर्जित करने के लिये विज्ञापित जारी कराने हेतु विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति दिनांक 29-5-79, के अनुसार विभागीय पत्र संख्या टी/1692/ए0सी0, दिनांक 11-6-79 को जिलाधिकारी, लखानऊ को भेजे गये थे । जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या- 530/8, वि0भा0आ0 दिनांक 23-8-79, के द्वारा उक्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिये थे । शासन ने अपने पत्र संख्या 3301/1-1-9 नजूल/221 न0/80, दिनांक 15 अक्टूबर, 1985, के द्वारा उक्त योजना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था ।

अतः शासन को विभागीय पत्र संख्या-एल0डी0ए0/ए0सी01357 दिनांक 28 दिसम्बर, 1985 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि जनपथा मार्केट के बहुखाण्डीय व्यवसायिक योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये तथा हज़रतगंज में ट्रेफिक कन्जक्शन को कम करने के लिये योजना बनाई गई थी, चूंकि बहुखाण्डीय विकास के लिये त्रिलोकनाथा रोड की तरफ से जनपथा बहुखाण्डीय भावन में इन्टरेन्स हेतु बहुमुखी विकास किये जाने के कारण सौन्दर्य बढ़ गया है तथा हज़रतगंज की तरफ से इन्टरेन्स का फेलाव कम होने के कारण सौन्दर्यीकरण सम्भाव नहीं हो पा रहा है अतः हज़रतगंज की तरफ से भूखाण्ड संख्या 31/67, तथा 33/67, की भूमि को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव भेजा गया था साथ ही साथ उक्त पत्र के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया था कि चूंकि भूमि नजूल की है, अतः विज्ञापित धारा 4 व 6 भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित भूखाण्ड की सीमाओं का तथा इस तथ्य का भी उल्लेख कर दिया जाये कि नजूल भूमि पर नजूल के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के हितों का भी अर्जन किया जाना है । कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय पर पुनः विचार करने का कष्ट करें ।

अतः शासन ने अपने पत्र संख्या 98/9-नजूल-221एन/80, दिनांक जनवरी, 1986, के द्वारा सूचित किया कि शासन द्वारा लिये गये पूर्व निर्णय पर पुनः विचार का कोई समुचित कारण नहीं है ।

उपरोक्त प्राधिकरण के समक्ष सूचनाई प्रस्तुत है ।

विषय: पट्टे के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

1- उ०प्र०राज्य विद्युत् परिषद् को दी गई भूमि के सम्बन्ध में
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को गोमती नगर योजना के टाउन सेन्टर में 132 के०बी०तव स्टेशन के निर्माण हेतु 39,061.75 वर्गमीटर भूमि आवन्तित की गई है जिसकी पूर्ण धानराशि उन्होंने जमा कर दी है । अधीक्षाणा अभियन्ता, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैन्समिशन सर्किल, उ०प्र० राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने पत्र दिनांक 20-12-86 § अनुलग्नक "क" § द्वारा सूचित किया है कि चूंकि उक्त तव स्टेशन का निर्माण जनहित में किया जा रहा है और गोमती नगर के निवासियों को विद्युत् आपूर्ति की जायेगी, साथ ही आस पास के गहत्वपूर्ण क्षेत्रों को विद्युत् की आपूर्ति की जायेगी, ऐसी स्थिति में उन्होंने पट्टे के किराये में छूट दिये जाने के लिये अनुरोध किया है ।

2- ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक लखानऊ को दी गई भूमि के सम्बन्ध में
ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को गोमती नगर योजना में 8,000 वर्ग मीटर भूमि धाने की स्थापना हेतु आवन्तित की गई है, जिसकी धानराशि प्राप्त हो गई है, पुलिस अधीक्षक, लखानऊ ने अपने पत्र संख्या-भा-305/83, दिनांक 17-12-86 § अनुलग्नक "ख" § द्वारा अनुरोध किया है कि उनसे पट्टे का किराया रु 1/- टोकेन के रूप में लिया जाये क्योंकि उन्होंने अपने उपरोक्त पत्र द्वारा सूचित किया है कि रु 7,000/- वार्षिक लीज़ रेन्ट सरकारी विभाग के लिये अधिका है ।

इसी प्रकार पुलिस विभाग को अलीगंज योजना में भी 2.54 एकड़ भूमि धाने हेतु आवन्तित की गई है ।

3- इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि पहले साइन्स म्यूजियम तथा केन्द्रीय विद्यालय को लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवन्तित भूमि में पट्टे के किराये में छूट प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को 132 के०बी० तव-स्टेशन के निर्माण हेतु दी गई भूमि को तथा पुलिस थानों को विभिन्न योजनाओं में दी जाने वाली भूमि को जनहित के कार्य में मानते हुए टोकेन लीज़रेन्ट रु 1/- प्रति वर्ग लिये जाने की अनुमति दी जाती है ।

प्राधिकरण कृपया अनुमोदित करने को कृपा करें ।

पृष्ठ संख्या: 40

अनुलग्नक "ख"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के पत्र संख्या- 5A-305/83
दिनांक 17-11-86 जो सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
को सम्बोधित है, की प्रतिलिपि ।

=====

विषय: जनपद लखनऊ के गोमती नगर में प्रस्तावित धाना के भावन
निर्माण हेतु भूखण्ड को पट्टे पर लिया जाना ।

शासनादेश संख्या: 4548/आठ-7-551/83, दिनांक 7-2-86
के द्वारा प्रस्तावित धाना गोमती नगी के भावन निर्माण हेतु लखनऊ
विकास प्राधिकरण की गोमती नगर आवासीय योजना में 8,000 वर्ग
मीटर भूमि रु 7,00,000/- में 90 वर्ग के पट्टे पर लिये जाने की
स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

उक्त भूमि को निष्पादित कराये जाने वाले विलेख का
प्राप्त शासन द्वारा पूर्वानुमोदित किये जाने के पश्चात उक्त धानराशि
प्राधिकरण को भुगतान की जा चुकी है । प्राधिकरण द्वारा
प्रस्तुत किये गये विलेख में रु 7,000/- वार्षिक रेन्ट मांगा गया है,
जो सरकारी विभाग के लिये अधिक है ।

अतः अनुरोध है कि प्रसंगत भूमि का किराया रु 1/-
टोकेन सिस्टम रेन्ट निर्धारित करने की कृपा करें जैसा कि अन्य
सरकारी विभाग से लिया जाता है ।

COPY OF THE LETTER NO:1220-CAMP ETCL/W-8/GOMTI NAGAR
DATED DEC.20th,1986, FROM SHRI M.B.ALIMCHANDANI,SUPERIN-
TENDING ENGINEER,U.P.S.E.B.,LUCKNOW ADDRESSED TO
SECRETARY, L.D.A.,LUCKNOW.

Sub: 39061.75 Sq.Meters of land for construction of 132 KV.
Sub Station at Gomti Nagar(Lucknow).

In continuation to my D.O. No: 3951-ETCL/W-8/Gomti Nagar dated 11.12.86 I have to inform you that the provision for commencement of work of 132 K.V. Sub Station Gomti Nagar(Lucknow) has been made in the current financial year. If the work is not taken up this year then there is possibility that this work may be deferred for some time. In that case it may not be possible for UPSEB to meet demand for power load which may be required for major commercial and residential purposes to the extent to which it may be required.

In view of foregoing I have to request you once again to kindly arrange to give us possession of the land for the proposed 132 KV Sub Station Gomti Nagar at the earliest possible to avoid any delay in the commencement of its work. The registration shall be got done as soon as the matter regarding exemption of stamp duty is decided by the U.P. Cabinet as already intimated to you.

The matter regarding exemption of lease rent may also be considered favourable as the above substation is being constructed purely in the public interest for feeding power supply in Gomti Nagar and other important areas of Lucknow. Similar exemption has been granted to Central School and other public bodies. Therefore it is requested that exemption may also be granted to U.P.S.E.B. from payment of lease rent.

With best wishes,

विषय: भूखण्ड संख्या- बी-10 एच रोड महानगर
विस्तार योजना के सम्बन्ध में ।

भूखण्ड संख्या- बी-10 एच रोड महानगर विस्तार योजना तत्कालीन नगर महापालिका द्वारा वर्ष 1966 में श्री हुकुम सिंह विष्ट को भावन निर्माण पट्टे पर दिया गया था । श्री विष्ट के स्वर्गवास के बाद उक्त भूखण्ड उनकी वसीयत के अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी विष्ट के नाम परिवर्तित कर दिया गया । श्रीमती लक्ष्मी विष्ट ने भूखण्ड रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 3-7-1981 द्वारा श्रीमती उषा कंसल व उनके दो पुत्रों श्री राजीव कंसल एवं राहुल कंसल के पक्ष में कर दिया । उस समय प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार क्रेतागण के पक्ष में भूखण्ड का नाम परिवर्तन हस्तान्तरण शुल्क "मूल प्रीमियम का 40% धन रु 5655/- जमा कराकर स्वीकार कर लिया गया था । पुनः श्रीमती उषा कंसल ने भी इस भूखण्ड के हस्तान्तरण की अनुमति चाही । विकास प्राधिकरण द्वारा लाभांश का 50% धन हस्तान्तरण शुल्क के रूप में लिये जाने की नीति बनाई जा चुकी है । यह लाभांश भूखण्ड के प्रचलित बाजार भाव पर निकाला जाता है । जिलाधिकारी की रेट लिस्ट में इस क्षेत्र की दरें 10/- से 15/- रु प्रति वर्गफिट अंकित थीं । अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्रांक 5058/वी0एस0 दिनांक 7-12-83 द्वारा अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व लखनऊ को प्रश्नगत भूखण्ड की वास्तविक दरें बताने हेतु अनुरोध किया गया । अतः जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने अपने पत्र संख्या: 37-पांच स्टाम्प मूल्यांकन दिनांक 31-12-83 द्वारा भूखण्ड का मूल्यांकन रु 12 प्रति वर्ग फिट के आस पास बताया । भूखण्ड के हस्तान्तरण की अनुमति हेतु लाभांश के निधारण हेतु रु 12 प्रति वर्गफिट की दरों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर तत्कालीन उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने आदेशा दिनांक 16-1-84 द्वारा रु 15 विक्रय मूल्य के साथ प्रस्ताव स्वीकृत किया । अतः पट्टेदार को रु 15/- प्रति वर्गफिट की दर पर लाभांश रु 38062/-50 पै0 प्राधिकरण कोषा में जमा करने की शर्त के साथ भूखण्ड हस्तान्तरण करने की अनुमति प्रदान की गयी । पट्टेदार ने यह उल्लेख करते हुए कि उन्हें भूखण्ड बेचने की जल्दी है इस शर्त के साथ शुल्क जमा कर दिया कि बाद में वे इस मामले के पुनरीक्षण हेतु प्रतिवेदन देंगी ।

श्रीमती उषा कंसल ने अपने मामले में अवर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व द्वारा सूचित दरों पर ही हस्तान्तरण शुल्क लिये जाने के औचित्य पर बल देते हुए पूर्व में जमा कराये गये धन के पुनरीक्षण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है ।

उल्लेखनीय है कि जिस समय हस्तान्तरण शुल्क निधारण का यह मामला विचाराधीन था उस समय जिलाधिकारी की रेट लिस्ट में इस क्षेत्र की दरें रु 10 से 15 प्रति वर्गफिट निधारित थीं । चूंकि श्रीमती कंसल ने यह भूखण्ड मात्र रु 8 प्रतिवर्गफिट की दर से क्रय किया था अतः लाभांश निकालने हेतु वास्तविक बाजार दर बताने हेतु

समाप्त:—

अतिरिक्त जिलाधिकारी को सन्दर्भित किया गया था। अति० जिलाधिकारी ने भूखण्ड की दरें रु० 12 प्रति वर्गफिट सूचित किया। यह भी दृष्टव्य है कि श्रीमती केंसल ने यह भूखण्ड रु० 1,20,750/- में बेचा था। भूखण्ड का क्षेत्रफल 10075 वर्ग फिट है। विक्रम मूल्य के अनुसार उन्हें मात्र रु० 11.10 पैसे प्रति वर्गफिट मूल्य प्राप्त हुआ। श्रीमती केंसल ने अपने समर्थन में भूखण्ड संख्या- डी-87 महानगर विस्तार योजना के हस्तान्तरण पर लिये गये हस्तान्तरण फार्म का उल्लेख किया है। भूखण्ड संख्या डी-87 के बेचने की अनुमति श्री बी०एल०रिखा ने चाही थी। इस मामले में भी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की संस्तुति पर रु० 13/- प्रति वर्गफिट की दरें लगाने की स्वीकृति तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा प्रदान की गई थी।

प्राधिकरण इस मामले में गुणावर्णन के आधार पर निर्णय लेकर निर्दिष्ट करने की कृपा करें।

विषय : ला-प्लास योजना के सम्बन्ध में प्राप्त
आपत्तियों पर विचार

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ला-प्लास योजना के अन्तर्गत लगभग 11 भूखण्ड निकाले गये थे। इन भूखण्डों हेतु पंजीकरण भी खोला गया था जिसमें 277 व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया और लगभग 70.00 लाख रुपया जमा हुआ। शासन से इस सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ आपत्तियाँ उठाई गई हैं। इन आपत्तियों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य नगर नियोजक से राय प्राप्त की गई। उनकी राय के अनुसार यह निवेदन करता है कि उसक्षेत्र में आवादी हो जाने से जनसंख्या का घनत्व बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और जहाँ तक जल भराव का प्रश्न है, वहाँ पर जलनिगम का पम्पिंग स्टेशन बना हुआ है जिसके द्वारा जल निकासी की व्यवस्था है, अतः इससे ड्रेनेज आदि की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

इस समय यदि प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना धन वापस ले लें तो इससे प्राधिकरण के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं शासन की क्षति भी धूमिल होगी। इसके अतिरिक्त अनेक पंजीकृत व्यक्ति न्यायालय की भी शरण लेंगे। अतः यह मामला प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मुख्य नगर निगोजक की आख्या दिनांक 0.1.07 की प्रतिलिपि

कृपया आपके आदेशों के क्रम में वा-प्लान योजना का विस्तृत वितरण निम्न प्रकार है:-

1- योजना के अर्न्तगत कुल भूमि का क्षेत्रफल	2,45,000 वर्गफिट
2- पी0 एण्ड टी0 को दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल	40,200 वर्गफिट
3- कुल क्षेत्रफल	2,04,800 वर्गफिट {4.7 एकड़}
4- 11 भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	59,000 वर्गफिट
5- ग्रुप हाउसिंग प्रायोजन हेतु भूमि का कुल क्षेत्रफल	1,45,361 वर्गफिट {3.425 एकड़}

योजना के अर्न्तगत घनत्व निहालने के लिए:

1- कुल फ्लैट्स की संख्या	140
2- 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार	140 x 5 = 740 व्यक्ति
3- 10 व्यक्ति प्रति भूखण्ड के अनुसार	11 x 10 = 110 व्यक्ति

अतः ग्रुप हाउसिंग के अर्न्तगत 158 व्यक्ति प्रति एकड़ का घनत्व एवं भूखण्डों पर 112 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व प्राप्त होता है। सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र का औसत घनत्व 150 प्रति व्यक्ति एकड़ प्राप्त होता है।

विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग के अर्न्तगत ए-1 क्षेत्र में 300 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व तथा प्लानेटेड डेवलपमेंट हेतु 250 व्यक्ति प्रति एकड़ प्रस्तावित करके शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। शासन ने उक्त प्रस्ताव को संख्या : 2937/31/3/86/29 एन0के0पी0/86 दिनांक 23.11.1986 के अर्न्तगत स्वीकृत करते हुए आदेश जारी कर दिये हैं, जो कि गजट नोटीफिकेशन की प्रक्रिया में है।

अतः उपरोक्त की स्वीकृति के उपरांत वा-प्लान योजना का घनत्व नियमानुकूल हो जायेगा।

सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग के पत्र संख्या: पी०एस०/११/न०वि०स०/८७ दिनांक ५.१.८७ की प्रतिलिपि।

शासन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी है कि लाप्लास में बहुखंडी भवन निर्माण के बाद बचे हुये भूखंड पर प्राधिकरण प्लॉट बना कर बेचने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस कारण न केवल बहुखंडी भवन के आस पास आवादी का घनत्व बहुत बढ़ जायेगा बल्कि ड्रेनेज में बहुत असुविधा होगी। यह भी बताया गया है कि यह भूखंड बहुत निचाई पर है और बाढ़ के समय वहाँ पर पानी आने का खतरा रहेगा और सगीपवर्ती जल-भराव के निकालने का एक मात्र मार्ग भी अवरूद्ध हो जायेगा।

इस संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि इस प्रकार के प्लॉटों के बनाने और आवंटन करने का कार्य तत्काल रोक दिया जाय और उस समस्त क्षेत्र के ड्रेनेज के अधयस्त जल निगम के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कराकर प्रस्ताव पर टिप्पणी देते हुये प्रस्तुत किया जाय।

कृपया इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाही कराकर शासन को सूचित करें।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अर्जन विभाग में अमीनों एवं चैनमैनों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विकास प्राधिकरण में अर्जन विभाग के कार्यकलापों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बहुत बड़े क्षेत्रफल की भूमि अर्जित हो चुकी है तथा नयी भूमि के अर्जन का कार्य भी निरन्तर प्रगति पर है। वर्तमान में अर्जन विभाग द्वारा लगभग 12 हजार एकड़ भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी है। उक्त कार्यवाही को सन्तोषजनक ढंग से सम्पादित करने हेतु यह आवश्यक है कि अर्जन विभाग में अमीनों एवं चैनमैनों के नियमित पद उपलब्ध हों। अतः अनुरोध है कि अर्जन विभाग हेतु निम्नलिखित पद उनके सम्मुख अंकित वेतनमान् में सृजित करने की कृपा करें :-

पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान्
अमीन	10	340-550
चैनमैन	10	305-390

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

पृष्ठ सं: 1

दिनांक 12 जनवरी, 1987 का

कार्यवृत्त

उपस्थिति :-

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1- | श्री बृजेश कुमार | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 2- | श्री अखण्ड प्रताप सिंह | सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग। |
| 3- | श्री गोविन्दन नायर | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 4- | श्री कुँवर फतेह वहादुर | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग। |
| 5- | श्री एन० एस० जौहरी | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश। |
| 6- | डॉ० वी०एन० खन्ना | सदस्य, विधान परिषद एवं सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 7- | श्री राम नगीना सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 8- | श्रीमती उमा त्रिपाठी | सदस्या, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

=x=x=x=x=x=x=x

बैठक की कार्यवाही से पूर्व उपस्थित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को नव-वर्ष की बधाई दी तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यों को नव-वर्ष की शुभ कामनायें व्यक्त की गईं।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक दिसम्बर 11, 1986 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित संशोधनों के साथ की गई:

वि०सं० : 33 यह पंक्ति भी बढ़ा दी जाये कि समस्त निर्माण के सम्बन्ध में, चाहे वह छोटे भूखण्ड हों या बड़े भूखण्ड हो, का स्थल निरीक्षण किया जाये।

विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 में लिये गये निर्णयों का अनुपालन आख्या।

निर्णय: निर्देश दिया गया कि आगामी बैठक में अनुपालन आख्या अवश्य प्रस्तुत की जाये।

क्रमशः...२..

विषय संख्या : 3

लघुनक विकास प्राधिकरण के आय-व्यय का विवरण।

निर्णय :

प्राधिकरण की आय-व्यय की स्थिति पर विचार किया गया तथा दिनांक 31-12-1986 तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। यह भी आदेश दिया गया कि आय पक्ष में हायर परचेज की स्थिति, भवन/दुकानों का किराया, भवन चित्र तथा व्यवसायिक केन्द्रों से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाये। व्यय पक्ष में विकास कार्य तथा व्यवसायिक केन्द्रों की मदों पर ध्यान दिया जाये।

विचार विमर्श के दौरान यह विन्दु भी उठाया गया कि दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में बेरोजगार युवकों के लिये आर-क्षण किया जाये और इसके साथ ही शासकीय सहकारी समिति, जैसे उपभोक्ता संस्था, पीओसीडीओएफओ तथा आवश्यक वस्तु निगम आदि के लिए व्यवसायिक केन्द्रों में कम दर पर दुकानें दी जायें।

विषय संख्या : 4

भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में प्रगति आख्या ।

निर्णय:

भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श उपरान्त यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में अंशेष मानचित्रों की संख्या 200 से कम रखने हेतु प्रयास किया जाये तथा तीन माह से अधिक समय से लम्बित मानचित्रों की संख्या अवश्य कम कर दी जाये और इस प्रकार के मामलों की समीक्षा उपाध्यक्ष के स्तर पर समय-समय पर की जाये। यह भी निर्देश दिया गया कि मानचित्रों पर आपत्तियों की सूचना एक ही बार दी जाये और बार-बार आपत्तियाँ सूचित करने की प्रक्रिया बन्द कर दी जाये।

विषय संख्या: 5

अनधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में प्रगति विवरण।

निर्णय:

यह देखा गया कि वर्ष 1986-87 में 494 भवन गिराओ आदेश पारित किये जा चुके हैं जिनके विपरीत केवल 92 निर्माण गिराये गये। पूर्व वर्षों की स्थिति इससे भी अधिक दयनीय रही है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आदेशों के परिपालन के सम्बन्ध में विशेष प्रयास किया जाये।

विषय संख्या: 6

आधिग्रहण सम्बन्धी कार्यों का विवरण।

निर्णय:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ज़िलाधिकारी स्तर पर लम्बित भूमि अर्जन प्रस्तावों की प्राथमिकता सूची बना दी जाये तथा उक्त सूची के अनुसार शासन को अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रयास किया जाये।

विषय संख्या : 7

अभियन्त्रण एवं आवन्टन की प्रगति आख्या।

निर्णय:

अभियन्त्रण विभाग तथा सम्पत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची पर सन्तोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि उक्त सूची को संक्षिप्त कराकर, कागज़ की बचत करते हुए प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत किया जाये। विचार-विमर्श के दौरान यह भी आदेश दिये गये कि अनावन्टित भवनों तथा भूखण्डों को आवन्टित करने की शीघ्र कार्यवाही की जाये तथा विकसित क्षेत्रों में निवन्धन तथा अनुवन्ध के लिये भी शीघ्र समुचित कार्यवाही की जाये। विकास कार्यों के सम्बन्ध प्रस्तुत की गई समय तारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा समय समय पर इसकी समीक्षा उपाध्यक्ष के स्तर पर भी सुनिश्चित की जाये।

विषय संख्या: 8

प्रताप गृह-निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासन की स्पष्ट नीतियों के अनुरूप समस्त गृह निर्माण समितियों के मामले निस्तारित किये जायें। इस हेतु एक उप-समिति गठित की गई जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा डायरेक्टर एन० एन्ना सदस्य होंगे। उक्त समिति एक सप्ताह के अन्दर समस्त सहकारी गृह निर्माण समितियों से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार करके निस्तारण की कार्यवाही करेगी।

विषय संख्या : 9

जनपथ मार्केट की एप्रोच रोड के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जनपथ मार्केट के लिए हज़रतगंज की ओर से समुचित एप्रोच उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित योजना के गुणात्मक पर पुनःपरीक्षण किया जाये और यदि उचित समझा जाये तो शासन को पुनःप्रेषित किया जाये। योजना से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु समुचित व्यवस्था भी कर ली जाये।

विषय संख्या : 10 पदों के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में

निर्णय : समयाभाव के कारण विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 11 भूखण्ड संख्या : वी-10, एच रोड, महानगर विस्तार योजना के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा भूखण्ड की दरें "रु 12/- प्रति वर्गफुट के आसपास" सूचित किया गया है, अतः विक्रय मूल्य रूपया 11.10 पैसा प्रति वर्गफुट के हिसाब से मूल्यांकन किया जाये।

विषय संख्या : 12 ला-प्लास योजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर विचार।

निर्णय : इस विषय पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ला-प्लास योजना के जल-भराव की समस्या के सम्बन्ध में कितनी विशेषज्ञ से रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये तथा निर्णयार्थ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। इस सम्बन्ध में डा० वी० एन० खन्ना द्वारा आपत्ति उठाई गई कि कदाचित इस विषय में बहुखण्डी योजना तैयार करते समय परीक्षण कर लिया गया होगा, अतः इस मामले में पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

विषय संख्या: 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण में अर्जन विभाग में अमीनों एवं चैनमैनो के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्ण औचित्य के साथ विषय आमागी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

हस्ताक्षर /---

§ गोविन्दन नायर §
उपाध्यक्ष

अनुमोदित
हस्ताक्षर /---

§ वृजेश कुमार §
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।